

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग
क्रमांक एफ ८(५) शिक्षायद्य९४ जयपुर, दिनांक २७-११-१९९६

परिपत्र

विभागीय समसंख्या पत्र दिनांक ०९-१०-१९९५ के अतिक्रमण में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (राष्ट्रीय महत्व की संस्था) मद्रास द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम को राज्य में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के समकक्ष मानते हुए एतद्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। नियुक्ति हेतु निर्धारित अन्य सभी शर्तों की पुर्ति करने वाले उक्त उपाधिधारक राज्य में तृतीय व द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र माने जायेंगे।

आज्ञा से,
(ह) के.सी.डी. माथुर
शासन उपसचिव

1. सचिव राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
3. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज, बीकानेर।
4. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज, बीकानेर।
5. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राज. जयपुर।
7. निदेशक, नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
8. निदेशक, कालेज शिक्षा, राज. जयपुर।
9. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. अजमेर।
11. सचिव, पत्रावली।

(रामजीलाल यादव).
सहायक शासन सचिव